17-6-19

वकील प्रार्थी हाजिर। एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

इसमें पत्रावली का अवलोकन किया तथा वह विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि कब्जे की सुविधा का सन्तुलन सामलात पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 912 RTA स्वीकार किया जाता है। गैरमजरूआ को मूल दावा के निस्तारण तक के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित अराजी ख.न. 131/801 हि. श्यामरीकपुर तहसील राजाखेड़ा पर सामलात के कब्जा कास्त में कोई बाधा इत्यादि न करें। परवाना तहसीलदार राजाखेड़ा को भेजा जावे। पत्रावली कौशल कुमार बेकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)